# यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

**पंजीकरण संख्या–538**
**ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध**
**केन्द्रीय कार्यालय :** 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
**पत्र व्यवहार :** 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**


**परिपत्र संख्या :** 2016–19/110/2017 **दिनांक :** 08.12.2017

**सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों**
**जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु**

प्रिय साथियों,

## *बजट 2018*

उपरोक्त विषय में कृपया हमारे परिपत्र संख्या 2016–19/109/2017 दिनांक 05.12.2017 का संज्ञान लें जिसके माध्यम से हमने आगामी बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री को एआईबीईए की ओर से प्रस्तुत विचारों एवं सुझावों के विषय में अवगत कराया था। अब एआईबीईए तथा एआईबीओए ने केन्द्रीय श्रम संगठनों द्वारा बजट 2018–19 के लिए माननीय वित्त मंत्री को भेजे गये दृष्टिकोण को अपने संयुक्त परिपत्र दिनांक 04.12.2017 के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम उक्त परिपत्र का अनूदित सार आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

**(मदन मोहन राय)**
**महामंत्री**

---

## बजट – 2018 पर वित्त मंत्री को केन्द्रीय श्रम संगठनों का प्रतिवेदन

**इंटक–एटक–एचएमएस–सीटू–एआईयूटीयूसी–टीयूसीसी–एआईसीसीटीयू–यूटीयूसी–एलपीएफ**

**माननीय वित्त मंत्री**
भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, 110 001

### विषय : **वर्ष 2018–19 के लिए बजट तैयार करने के लिए विचार किए जाने वाले मुद्दों पर श्रम संगठनों का दृष्टिकोण**

महोदय,

आरंभ करते हुए, हम आपसे श्रम संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किए गए विचारों पर विचार करने तथा बजट प्रस्तावों में उन्हें शामिल करने का अनुरोध करते हैं जिससे कि यह बैठक सार्थक हो। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस बैठक को मात्र एक औपचारिकता में न बदलें। कृपया स्मरण करें कि आपकी अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह की अगस्त, 2015 में, देशभर के कामगार लोगों के 12 सूत्री माँग पत्र पर श्रम संगठनों के साथ एक अनिर्णायक चर्चा हुई थी। केन्द्रीय श्रम संगठनों के अनुरोध के बावजूद मंत्रियों के समूह ने विचार विमर्श को फिर से शुरू नहीं किया। 7 नवम्बर 2017 को श्रम मंत्री के केन्द्रीय श्रम संगठनों के साथ हुए विचार–विमर्श में कोई परिणाम नहीं निकला।

*जारी पृष्ठ 2*

इसलिए, हम अपनी माँगों को पुनः दोहराने के लिए बाध्य हैं तथा अपने दृष्टिकोण को निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैंः

- **सामाजिक क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन बढ़ायें :** सरकार को केन्द्रीय बजट में सामाजिक क्षेत्र तथा मूलभूत सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा आदि पर आवंटन को बढ़ाना चाहिए। आवश्यक वित्तीय संसाधनों को अमीरों, जिनकी भुगतान करने की क्षमता है, पर कर लगाकर आंतरिक तौर पर उठाया जाना चाहिए।

- **जानबूझकर कर तथा ऋण वापसी चूकों के विरूद्ध प्रभावी उपाय :** बड़े व्यवसाय और कॉर्पोरेट लॉबी द्वारा जानबूझकर कर की चूक के विरूद्ध प्रभावी और ठोस उपाय किये जाने चाहिए ताकि अदत्त करों के भारी संचय को कम किया जा सके, जो कि लगातार बढ़ रहे हैं। इसके अलावा, जानबूझकर चूक को दण्डनीय अपराध घोषित किया जाना चाहिए, जानबूझकर चूककर्ताओं की सूची सार्वजनिक की जानी चाहिए तथा कठोर उपाय जैसे कि फास्ट ट्रैक ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को लागू किया जाना चाहिए।

- **न्यूनतम वेतन :** 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की अनुशंसाओं तथा रैप्टाकोस एवं ब्रेट मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर न्यूनतम वेतन नियत किया जाना चाहिए तथा जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा हुआ हो, सभी कामगारों के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 7वें वेतन आयोग ने इसकी गणना रू0 18000 प्रति माह की है, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए, न्यूनतम वेतन रू0 18000 प्रति माह से कम नहीं होना चाहिए, जो कि सभी केन्द्रीय श्रम संगठनों की सार्वभौम माँग है। आवश्यकता आधारित न्यूनतम वेतन को सामाजिक सुरक्षा के एक आवश्यक भाग के रूप में माना जाना चाहिए।

- **7वें वेतन आयोग से सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों की माँगों को हल करें :** 7वें वेतन आयोग के सम्बन्ध में केन्द्र और राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की सभी लम्बित माँगों को समय सीमा के अन्दर हल किया जाना चाहिए जिसमें 01.01.2016 से प्रभावी भत्तों का बकाया शामिल हो। 7वें वेतन आयोग के सभी लाभों के लिए स्वायत्त निकायों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

- **मूल्य वृद्धि :** आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर खाद्य वस्तुओं, की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है जो श्रमिकों तथा अन्य मेहनतकश लोगों को उनकी बुनियादी दैनिक जरूरतों को पूरा करना असंभव बना रही है। सट्टा वायदा कारोबार तथा जमाखोरी मूल्य वृद्धि के लिए प्रमुख कारक हैं। सरकार को आवश्यक वस्तुओं में सट्टा वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जमाखोरी कम करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को, सार्वभौमिक बनाते हुए, मजबूत करने के लिए कठोर उपाय करने चाहिए। पीडीएस के बजाए लाभार्थियों के खातों में नकद हस्तांतरण की प्रणाली को रोकें।

- **सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईओं के विनिवेश तथा रणनीतिक बिक्री को रोकें :** सार्वजनिक क्षेत्र को सुदृढ़ तथा विस्तारित किया जाना है। बजटीय सहायता संभावित व्यवहार्य बीमार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईओं के पुनरूद्धार के लिए प्रदान की जानी चाहिए। लाभकारी सार्वजनिक क्षेत्र इकाईओं की रणनीतिक बिक्री, जो वर्तमान में शुरू की जा रही है, रोका जाना चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन, जो राज्य के स्वामित्व वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के निजीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, वापस लिया जाना चाहिए।

- **रोजगार सृजन :** हाल की अवधि में रोजगार सृजन में गिरावट आई है। बुनियादी ढांचे, सामाजिक क्षेत्रों तथा कृषि में विशाल सार्वजनिक निवेश रोजगार उत्पन्न करेगा। केन्द्रीय बजट को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए तथा इसके लिए आवश्यक धनराशि आवंटित करनी चाहिए। विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र इकाईओं तथा स्वायत्त संस्थानों में रिक्त सभी पदों को नई भर्ती के माध्यम से भरा जाना चाहिए। नये पदों के निर्माण पर प्रतिबंध को हटा देना चाहिए। पदों के समर्पण/उन्मूलन की प्रथा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

- **राशिपातन रोकें :** राशिपातन रोकने के लिए पूंजीगत सामान सहित औद्योगिक वस्तुओं के बढ़ते हुए आयात को नियंत्रित तथा विनियमित किया जाना चाहिए। घरेलू उद्योगों की रक्षा करें और बढ़ावा दें। यह सेवाओं के समापन को रोकने में भी सहायक होगा।

- **मनरेगा को बढ़ाएंः** सभी ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करने के लिए मनरेगा पर खर्च को बढ़ाना चाहिए। मनरेगा

*जारी पृष्ठ 3*

के तहत कार्यरत श्रमिकों को वेतन का तत्काल भुगतान सुनिश्चित करें। इसे शहरी क्षेत्रों को भी शामिल करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में योजना के विस्तार, वैधानिक न्यूनतम वेतन के साथ कम से कम 200 दिनों के लिए सुनिश्चित रोजगार के लिए, 43वें आईएलसी की सर्वसम्मत अनुशंसा को लागू किया जाना चाहिए।

- **ठेका तथा अस्थायी कामगार :** स्थायी प्रकृति के कार्यों के लिए ठेका/अस्थायी कामगारों को तैनात नहीं किया जाना चाहिए। स्थायी श्रमिकों के समान कार्य करने वाले ठेका तथा अस्थायी कामगारों को उसी वेतन तथा लाभ का भुगतान किया जाना चाहिए, जैसा कि नियमित कामगारों को भुगतान किया जाता है जैसा कि 2016 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित है।
- **एफडीआई :** केन्द्रीय श्रम संगठन लगातार माँग कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे रक्षा उत्पादन, रेलवे, वित्तीय क्षेत्र, खुदरा व्यापार आदि में एफडीआई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन सरकार इस नीति पर कायम है। बड़े एनपीए वाले कॉर्पोरेटों को रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश की अनुमति है। हम माँग को दोहराते हैं कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एफडीआई की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- **रक्षा :** रक्षा क्षेत्र के निजीकरण को रोका जाना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के आयुध कारखानों द्वारा उत्पादित कुल 273 में से 143 वस्तुओं की आउटसोर्सिंग के आदेश को वापस लिया जाना चाहिए।
- **योजना कामगार :** आईसीडीएस, एनएचएम, मिड–डे मील कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, सर्व शिक्षा अभियान आदि सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में कार्यरत कार्यबल को नियमित किया जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, कम से कम 45वें आईएलसी की अनुशंसा को तत्काल लागू करें कि इन योजना कामगारों को 'कामगार' के रूप में पहचाना जाना चाहिए, उन्हें न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए तथा पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा लाभों को प्रदान किया जाना चाहिए। इन योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन बढ़ायें तथा किसी भी रूप में इन योजनाओं का निजीकरण रोकें।
- **घरेलू कामगार :** सरकार को आईएलओ सम्मेलन 189 की पुष्टि करनी चाहिए और एक केन्द्रीय कानून बनाना चाहिए तथा घरेलू कामगारों के लिए सहायता प्रणाली बनानी चाहिए।
- **असंगठित कामगार :** ठेका, अस्थायी, प्रवासी कामगारों आदि सहित सभी असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए असंगठित कामगारों के लिए एक राष्ट्रीय कोष बनायें। सभी राज्य सरकारों को फुटपाथ विक्रेता (आजीविका की सुरक्षा तथा फुटपाथ बिक्री का विनियमन) अधिनियम के तहत नियमों को तैयार करने के लिए निर्देशित करें तथा आजीविका मॉडल के रूप में फुटपाथ बिक्री विकसित करने के लिए निधि आवंटित करें। भवन तथा अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड, बीड़ी कर्मचारी कल्याण बोर्ड आदि के तहत उपकर का प्रबंधन वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी बनाई जानी चाहिए, जिसे इसका उचित संग्रह, चोरी की रोकथाम तथा उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।
- **श्रम कानून सुधार :** श्रम कानून संशोधनों को रोकें जो कामगारों के मूल और श्रम संगठन अधिकारों को कम करते हैं तथा नियोक्ताओं को 'रखो और निकालो' की सुविधा प्रदान करते हैं। श्रम पर स्थायी समिति के समक्ष वर्तमान, मजूदरी विधेयक पर संहिता तथा औद्योगिक संबंध विधेयक पर प्रारूप संहिता पर सर्वसम्मति से व्यक्त किए गए केन्द्रीय श्रम संगठनों के विचारों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। कोई भी श्रम कानून संशोधन श्रम संगठनों तथा कामगारों की सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए जो कि मुख्य हितधारक हैं तथा सबसे अधिक प्रभावित हैं।
- **ईपीएफ :** ईपीएफ योजना की प्रारंभिक सीमा को 10 तक नीचे लाया जाना चाहिए। सरकार तथा नियोक्ता के अंशदान को रू0 3000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान करने के लिए बढ़ाना चाहिए तथा इसे स्थायी बनाये रखना चाहिए। शेयर बाजार में ईपीएफ फण्ड का निवेश रोका जाए। उच्चतम न्यायालय ने ईपीएस–95 के तहत पेंशन के उच्च भुगतान के लिए निर्णय तथा आदेश दिया है। यह विकल्प उन सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं।
- **सभी के लिए पेंशन :** पेंशन का स्थगित वेतन के रूप में अर्थ लगाया जाना चाहिए तथा सभी कामगारों को जो किसी भी पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं हैं उनके लिए पेंशन सुनिश्चित करनी चाहिए जो रू0 3,000/– प्रति माह से कम ने हो।
- **नई पेंशन योजना :** नई पेंशन योजना को वापस लिया जाना चाहिए। 1.1.2004 या उसके बाद भर्ती सभी केन्द्रीय तथा राज्य सरकार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत शामिल किया जाना चाहिए।

*जारी पृष्ठ 4*

- **ग्रेच्युटी :** ग्रेच्युटी अधिनियम के भुगतान के तहत ग्रेच्युटी को रू0 20 लाख तक बढ़ाया जाना चाहिए तथा प्रतिवर्ष सेवा पूरी होने पर 15 दिन के बजाय 30 दिनों का वेतन करना चाहिए।
- **आधार :** सरकार को अनिवार्य रूप से आधार जोड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
- **बंद तथा बीमार कारखाने :** सुनिश्चित करें कि बंद कारखानों के श्रमिकों को अपनी बकाया राशि निर्धारित समय सीमा के अंदर प्राप्त होती है। बीआईएफआर के अचानक ठप्प होने पर कई हितधारकों को बिना किसी समाधान के छोड़ दिया है। बीमार औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) निरसन अधिनियम, 2003 के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियमों को तत्काल तैयार किया जाना चाहिए ताकि उन्हें सुविधा मिल सके।
- **आयकर छूट :** वेतनभोगी व्यक्तियों और पेंशनभोगियों के लिए आयकर की अधिकतम सीमा बढ़ाकर रू0 5 लाख प्रति वर्ष होनी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर की सीमा रू0 8 लाख तक बढ़ाई जानी चाहिए। सभी भत्तों तथा अतिरिक्त लाभों जैसे आवासीय, चिकित्सा तथा शिक्षा सुविधायें तथा रेलवे में परिचालन भत्तों को पूरी तरह कुल आयकर से छूट दी जानी चाहिए।
- **राजनीतिक अनुदान :** हाल ही में सरकार ने कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों के लिए दान की जाने वाली राशि पर से सीमा तथा धन प्राप्त करने वाले राजनैतिक दल के नाम की आवश्यकता को हटा दिया। यह सार्वजनिक जीवन में वादा की गई पारदर्शिता से दूर है। पूर्व व्यवस्था को बहाल किया जाना चाहिए।
- **रेलवे :** आम लोगों, विशेष रूप से गरीबों के लिए अधिक प्रभावी, सुलभ और सस्ता परिवहन सुनिश्चित करने के लिए रेलवे को पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित किए जाने चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादन इकाईओं की क्षमताओं का पूरी तरह उपयोग, अधिक विकसित तथा सुदृढ़ किया जाना चाहिए। रेलवे के निजीकरण के लिए कोई उपाय नहीं किए जाने चाहिए। देशभर के रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने के उपायों को तत्काल रोका जाना चाहिए। रेलवे की कोई भी संपत्ति पट्टे या बिक्री के माध्यम से निजी क्षेत्र को नहीं सौंपी जानी चाहिए। रेलवे में 100% एफडीआई की अनुमति देने का निर्णय वापस लिया जाना चाहिए। लंबित विस्तार, ट्रैकों का नवीनीकरण, संकेत उन्नयन परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। सुरक्षा प्रणालियों को बेहतर बनाने तथा लोगों के लिए सुरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित किए जाने चाहिए। रेलवे में सभी रिक्तियों को भरना चाहिए। रेलवे कर्मचारियों की लम्बे समय से लंबित माँगों जैसे कर छूट के लिए परिचालन भत्ते के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा में वृद्धि, आवास योजना आदि सकारात्मक रूप से हल की जानी चाहिए।

**समापन करते हुए :**

हम नियोक्ताओं, विशेष रूप से बड़े कॉर्पोरेटों, घरेलू तथा विदेशी, को लाभान्वित करने के लिए 'व्यापार करने में आसानी' के सुधार करने के बहाने सरकार द्वारा किए जा रहे कामगार विरोधी उपायों पर अपना दृढ़ विरोध दोहराते हैं।

हम एक बार पुनः सरकार से अनुरोध करते हैं कि कामकाजी लोगों के 12 सूत्री माँग पत्र को हल करने के लिए ठोस उपाय करें, जिसे बार–बार केन्द्रीय श्रम संगठनों द्वारा उठाया जा रहा है, साथ ही साथ ऊपर सूचीबद्ध मुद्दों पर दबाव डालते हुए।

हमें खेद है कि पहले के बजट पूर्व बैठकों में किए गए केन्द्रीय श्रम संगठनों के सुझावों में से कोई भी पिछले बजट में शामिल नहीं हुआ था। हमें आशा है कि इसे दोबारा नहीं दोहराया जायेगा तथा हमारे द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर बजट 2018–19 तैयार करते समय सकारात्मक विचार किया जायेगा।

---

आपके साथी,

ह0..
**सी.एच. वेंकटचलम्**
**महामंत्री**
**एआईबीईए**

ह0..
**एस. नागराजन**
**महामंत्री**
**एआईबीओए**